



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 26, 2011/चैत्र 5, 1933

No. 162]

NEW DELHI, SATARUDAY, MARCH 26, 2011/CHAITRA 5, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2011

सा.का.नि. 259(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 610ख के साथ पठित धारा 642 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी (केन्द्र सरकार के) सामान्य नियम एवं प्रपत्र 1956 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :—

1. (1) इन नियमों को कम्पनी (केन्द्र सरकार के) सामान्य नियम एवं प्रपत्र (संशोधन) नियमावली, 2011 कहा जाए।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी (केन्द्र सरकार के) सामान्य नियम एवं प्रपत्र 1956 में अनुलग्नक-क में फॉर्म 61 के क्रम संख्या 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थित की जाएंगी, नामतः :—

“6. \*हेतु आवेदन दायर किया गया —

- अपराधों का संयोजन
- धारा 166(1) के तहत वार्षिक आम सभा की बैठक को तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाना
- धारा 210 (4) के तहत वार्षिक लेखांकन को अठारह महीनों के लिए बढ़ाना
- धारा 560 के तहत निष्क्रिय कम्पनी घोषित करना
- व्यवस्था, सम्मेलन की योजना
- निष्क्रिय कम्पनी को सामान्य करना
- अन्य”।

[फा. सं. 1/15/2008-सीएल-V]

अविनाश कु. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पणः—मूल नियम भारत के राजपत्र के भाग II के खण्ड 3, उप-खण्ड(i) में संख्या सा. का. नि. 432, तारीख 18 जनवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और भारत के राजपत्र में निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा पश्चात्पूर्वी संशोधन किए गए :—

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	का. नि. आ. 2535	1-11-1956
2.	का. नि. आ. 3135	21-12-1956
3.	का. नि. आ. 237	19-1-1957
4.	का. नि. आ. 2105	29-1-1957
5.	का. नि. आ. 3038	28-9-1957
6.	का. नि. आ. 3867	7-12-1957
7.	सा. का. नि. 48	22-2-1958
8.	सा. का. नि. 723	23-8-1958
9.	सा. का. नि. 750	30-8-1958
10.	सा. का. नि. 1026	1-11-1958
11.	सा. का. नि. 14	3-1-1959
12.	सा. का. नि. 548	9-5-1959
13.	सा. का. नि. 1140	17-10-1959
14.	सा. का. नि. 1224	7-11-1959
15.	सा. का. नि. 1364	12-12-1959
16.	सा. का. नि. 220	27-2-1960
17.	सा. का. नि. 595	28-5-1960

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
18.	सा. का. नि. 195	18-2-1961	59.	सा. का. नि. 484 (अ)	11-5-1992
19.	सा. का. नि. 814	24-6-1961	60.	सा. का. नि. 581 (अ)	27-8-1993
20.	सा. का. नि. 1105	9-9-1961	61.	सा. का. नि. 621 (अ)	24-9-1993
21.	सा. का. नि. 1408	25-11-1961	62.	सा. का. नि. 286 (अ)	1-11-1994
22.	सा. का. नि. 653	12-5-1962	63.	सा. का. नि. 598 (अ)	28-7-1994
23.	सा. का. नि. 344	2-3-1963	64.	सा. का. नि. 697 (अ)	20-9-1994
24.	सा. का. नि. 628	13-4-1963	65.	सा. का. नि. 283 (अ)	21-3-1995
25.	सा. का. नि. 97	16-1-1965	66.	सा. का. नि. 424 (अ)	26-5-1995
26.	सा. का. नि. 822	12-6-1965	67.	सा. का. नि. 251 (अ)	21-6-1996
27.	सा. का. नि. 1570	30-10-1965	68.	सा. का. नि. 97 (अ)	28-2-1997
28.	सा. का. नि. 368	19-3-1966	69.	सा. का. नि. 126 (अ)	1-3-1997
29.	सा. का. नि. 421	18-3-1966	70.	सा. का. नि. 16 (अ)	6-1-1999
30.	सा. का. नि. 499	9-4-1966	71.	सा. का. नि. 23 (अ)	12-1-1999
31.	सा. का. नि. 743	21-5-1966	72.	सा. का. नि. 130 (अ)	23-2-1999
32.	सा. का. नि. 847	4-6-1966	73.	सा. का. नि. 788 (अ)	29-11-1999
33.	सा. का. नि. 1266	13-8-1966	74.	सा. का. नि. 58 (अ)	17-1-2000
34.	सा. का. नि. 130	20-1-1968	75.	सा. का. नि. 363 (अ)	27-4-2000
35.	सा. का. नि. 667	30-6-1973	76.	सा. का. नि. 638 (अ)	26-7-2000
36.	सा. का. नि. 327(अ)	10-6-1975	77.	सा. का. नि. 836 (अ)	24-10-2000
37.	सा. का. नि. 414(अ)	16-7-1975	78.	सा. का. नि. 24 (अ)	15-1-2001
38.	सा. का. नि. 2596	1-11-1975	79.	सा. का. नि. 35 (अ)	24-1-2001
39.	सा. का. नि. 2828	13-12-1975	80.	सा. का. नि. 51 (अ)	31-1-2001
40.	सा. का. नि. 154	31-1-1976	81.	सा. का. नि. 96 (अ)	14-2-2001
41.	सा. का. नि. 248(अ)	24-3-1976	82.	सा. का. नि. 330 (अ)	7-5-2002
42.	सा. का. नि. 627	14-5-1977	83.	सा. का. नि. 5 (अ)	3-1-2003
43.	सा. का. नि. 24(अ)	9-1-1979	84.	सा. का. नि. 479 (अ)	12-6-2003
44.	सा. का. नि. 1256	6-10-1979	85.	सा. का. नि. 580 (अ)	24-7-2003
45.	सा. का. नि. 555(अ)	4-9-1982	86.	सा. का. नि. 56 (अ)	10-2-2006
46.	सा. का. नि. 479(अ)	22-4-1988	87.	सा. का. नि. 555 (अ)	14-9-2006
47.	सा. का. नि. 694(अ)	10-6-1988	88.	सा. का. नि. 399 (अ)	30-5-2007
48.	सा. का. नि. 782(अ)	13-7-1988	89.	सा. का. नि. 500 (अ)	24-7-2007
49.	सा. का. नि. 908(अ)	7-9-1988	90.	सा. का. नि. 720 (अ)	16-11-2007
50.	सा. का. नि. 1032(अ)	26-10-1988	91.	सा. का. नि. 655 (अ)	12-9-2008
51.	सा. का. नि. 449(अ)	17-4-1989	92.	सा. का. नि. 788 (अ)	14-11-2008
52.	सा. का. नि. 510(अ)	24-5-1990	93.	सा. का. नि. 824 (अ)	28-11-2008
53.	सा. का. नि. 795(अ)	18-9-1990	94.	सा. का. नि. 835 (अ)	4-12-2008
54.	सा. का. नि. 289(अ)	31-5-1991	95.	सा. का. नि. 868 (अ)	22-12-2008
55.	सा. का. नि. 614(अ)	3-10-1991	96.	सा. का. नि. 872 (अ)	23-12-2008
56.	सा. का. नि. 754(अ)	26-12-1991	97.	सा. का. नि. 876 (अ)	24-12-2008
57.	सा. का. नि. 312(अ)	6-3-1992	98.	सा. का. नि. 183 (अ)	20-3-2009
58.	सा. का. नि. 353(अ)	26-3-1992	99.	सा. का. नि. 257 (अ)	17-4-2009
			100.	सा. का. नि. 289 (अ)	24-4-2009

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2011

**G.S.R. 259(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 642 read with Section 610B of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Central Government's) General Rules and Forms 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Companies (Central Government's) General Rules and Forms (Amendment), Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, in Annexure 'A' in Form 61, for serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

“6. \* Application filed for —

- Compounding of offences
- Extension of period of annual general meeting by three months under Section 166 (1)
- Extending the period of annual accounts up to eighteen months under Section 210 (4)
- Declaring a defunct company under Section 560
- Scheme of arrangement, amalgamation
- Normalising a dormant company
- Others”.

[F. No. 1/15/2008-C. L. -V]

AVINASHK. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

**Note :—**The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 432, dated the 18th January, 1956 and subsequently amended *vide* the following notifications :—

Sl. No.	Notification Number	Notification Date
(1)	(2)	(3)
1.	S.R.O. 2535	1-11-1956
2.	S.R.O. 3135	21-12-1956
3.	S.R.O. 237	19-1-1957
4.	S.R.O. 2105	29-1-1957
5.	S.R.O. 3038	28-9-1957
6.	S.R.O. 3867	7-12-1957
7.	G.S.R. 48	22-2-1958
8.	G.S.R. 723	23-8-1958
9.	G.S.R. 750	30-8-1958
10.	G.S.R. 1026	1-11-1958
11.	G.S.R. 14	3-1-1959

(1)	(2)	(3)
12.	G.S.R. 548	9-5-1959
13.	G.S.R. 1140	17-10-1959
14.	G.S.R. 1224	7-11-1959
15.	G.S.R. 1364	12-12-1959
16.	G.S.R. 220	27-2-1960
17.	G.S.R. 595	28-5-1960
18.	G.S.R. 195	18-2-1961
19.	G.S.R. 814	24-6-1961
20.	G.S.R. 1105	9-9-1961
21.	G.S.R. 1408	25-11-1961
22.	G.S.R. 653	12-5-1962
23.	G.S.R. 344	2-3-1963
24.	G.S.R. 628	13-4-1963
25.	G.S.R. 97	16-1-1965
26.	G.S.R. 822	12-6-1965
27.	G.S.R. 1570	30-10-1965
28.	G.S.R. 368	19-3-1966
29.	G.S.R. 421	18-3-1966
30.	G.S.R. 499	9-4-1966
31.	G.S.R. 743	21-5-1966
32.	G.S.R. 847	4-6-1966
33.	G.S.R. 1266	13-8-1966
34.	G.S.R. 130	20-1-1968
35.	G.S.R. 667	30-6-1973
36.	G.S.R. 327(E)	10-6-1975
37.	G.S.R. 414(E)	16-7-1975
38.	G.S.R. 2596	1-11-1975
39.	G.S.R. 2828	13-12-1975
40.	G.S.R. 154	31-1-1976
41.	G.S.R. 248 (E)	24-3-1976
42.	G.S.R. 627	14-5-1977
43.	G.S.R. 24 (E)	9-1-1979
44.	G.S.R. 1256	6-10-1979
45.	G.S.R. 555 (E)	4-9-1982
46.	G.S.R. 479 (E)	22-4-1988
47.	G.S.R. 694 (E)	10-6-1988
48.	G.S.R. 782 (E)	13-7-1988
49.	G.S.R. 908 (E)	7-9-1988
50.	G.S.R. 1032 (E)	26-10-1988
51.	G.S.R. 449 (E)	17-4-1989
52.	G.S.R. 510 (E)	24-5-1990
53.	G.S.R. 795 (E)	18-9-1990
54.	IG.S.R. 289 (E)	31-5-1991
55.	G.S.R. 614 (E)	3-10-1991
56.	G.S.R. 754 (E)	26-12-1991
57.	G.S.R. 312 (E)	6-3-1992
58.	G.S.R. 353 (E)	26-3-1992
59.	G.S.R. 484 (E)	11-5-1992

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
60.	G.S.R. 581(E)	27-8-1993	80.	G.S.R. 51(E)	31-1-2001
61.	G.S.R. 621(E)	24-9-1956	81.	G.S.R. 96(E)	14-2-2001
62.	G.S.R. 286(E)	1-3-1994	82.	G.S.R. 330(E)	7-5-2002
63.	G.S.R. 598(E)	28-7-1994	83.	G.S.R. 5(E)	3-1-2003
64.	G.S.R. 697(E)	20-9-1994	84.	G.S.R. 479(E)	12-6-2003
65.	G.S.R. 283(E)	21-3-1995	85.	G.S.R. 580(E)	24-7-2003
66.	G.S.R. 424(E)	26-5-1995	86.	G.S.R. 56(E)	10-2-2006
67.	G.S.R. 251(E)	21-6-1996	87.	G.S.R. 555(E)	14-9-2006
68.	G.S.R. 97(E)	28-2-1997	88.	G.S.R. 399(E)	30-5-2007
69.	G.S.R. 126(E)	1-3-1997	89.	G.S.R. 500(E)	24-7-2007
70.	G.S.R. 16(E)	6-1-1999	90.	G.S.R. 720(E)	16-11-2007
71.	G.S.R. 23(E)	12-1-1999	91.	G.S.R. 655(E)	12-9-2008
72.	G.S.R. 130(E)	23-2-1999	92.	G.S.R. 788(E)	14-11-2008
73.	G.S.R. 788(E)	29-11-1999	93.	G.S.R. 824(E)	28-11-2008
74.	G.S.R. 58(E)	17-1-2000	94.	G.S.R. 835(E)	4-12-2008
75.	G.S.R. 363(E)	27-4-2000	95.	G.S.R. 868(E)	22-12-2008
76.	G.S.R. 638(E)	26-7-2000	96.	G.S.R. 872(E)	23-12-2008
77.	G.S.R. 836(E)	24-10-2000	97.	G.S.R. 876(E)	24-12-2008
78.	G.S.R. 24(E)	15-1-2001	98.	G.S.R. 183(E)	20-3-2009
79.	G.S.R. 35(E)	24-1-2001	99.	G.S.R. 257(E)	17-4-2009
			100.	G.S.R. 289(E)	24-4-2009